म.प्र.राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल

संस्था की सामान्य जानकारी

परिचय :

मध्यप्रदेश राज्य में जैविक प्रमाणीकरण संस्था के कार्य संचालन हेतु ज्ञापन पत्र एवं नियमों (मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन एण्ड रूल्स ऑफ एसोशियेशन) के आधार पर समितियों के रजिस्ट्रार म.प्र. भोपाल के प्रमाण–पत्र क्रमांक 01/01/01/1666648/06 दिनांक 11.07.2006 दिनांक 11.07.2006 द्वारा उक्त संस्था का पंजीयन किया जाकर मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के ज्ञापन क्रमांक 15–21/06/14–2 दिनांक 10 अगस्त, 2006 द्वारा म.प्र.राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की गई है। संस्था का कार्यालय बी–2, वसुन्धरा ऑफीस काम्प्लेक्स, गौतम, नगर, भोपाल में स्थित है।
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) ''एपीडा'' नई दिल्ली द्वारा म.प्र.राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल को दिनांक 01.10.2011 से राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) अंतर्गत फसल उत्पादन बावत प्रमाणीकरण अधिमान्यता प्रदान की गई । इसके पश्चात दिनांक 18.11.2014 से आदान अनुमोदन, प्रोसेसिंग एवं ट्रेडिंग एवं हैण्डलिंग के स्कोप बावत भी अधिमान्यता प्रदान की गई है।

उद्‌देश्य :

देश एवं प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन नीति एवं राष्ट्रीय जैविक मानकों (NSOP) के तहत जैविक प्रमाणीकरण (Process certification) सेवाएँ उपलब्ध कराना हैं।

जैविक प्रमाणीकरण :

- ❖ उत्पादन क्षेत्र/इकाई में जैविक मानकों यथा NPOP अंतर्गत जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय जैविक मानकों (NSOP) के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया/प्रबंधन को अपनाया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया/प्रबंधन का जैविक मानकों के अनुरूप अनुपालन का सत्यापन ही जैविक प्रमाणीकरण है। इसमें निम्न मुख्य चरण होते है –
  1. ऑपरेटर का संस्था में जैविक प्रमाणीकरण हेतु आवेदन पश्चात ऑन लाइन पंजीयन।
  2. संस्था के जैविक निरीक्षक द्वारा ऑपरेटर के फार्म/प्रक्षेत्र/इकाई आदि का निरीक्षण संपादित करने के उपरांत निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा (विवेचना)।
  3. समीक्षा के आधार पर प्रमाणीकरण निर्णयन।
- ❖ जैविक प्रमाणीकरण एक मार्केटिंग टूल है, जिससे उत्पाद की जैविक पहचान को विश्वसनीयता प्राप्त होने के फलस्वरूप जैविक उत्पाद की ब्रांडिग के साथ बेहतर मूल्य पर उसका विपणन संभव होता है।

म.प्र.राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल

जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया के विभिन्न चरण

STEPS OF ORGANIC CERTIFICATION

जैविक कृषक/प्रचालक (Operator) द्वारा संस्था से संपर्क व्यक्तिगत/दूरभाष/ई–मेल/पत्र द्वारा

⬇

जैविक कृषक/प्रचालक (Operator) द्वारा संस्था की वेबसाईट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर वांछित जानकारी हस्ताक्षर सहित पूर्ण करके अनुबंध पत्र की दो प्रतियों के साथ संस्था को भेजना

⬇

संस्था द्वारा ऑपरेटर का Online पंजीयन करना

⬇

संस्था द्वारा जैविक कृषक (ऑपरेटर) के सहयोग से निरीक्षण संपादित

⬇

निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर संस्था द्वारा प्रमाणीकरण निर्णयन लेकर यथानुसार प्रमाण–पत्र जारी करना

म.प्र.राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल

ब्लॉक बी–2, वसुन्धरा ऑफिस काम्प्लेक्स, गौतम नगर, भोपाल (म.प्र.)

दूरभाष–0755–2580922, 2600609, ई–मेल md.mpsoca@gmail.com, वेबसाईट–www.mpsoca.org

---

म.प्र.राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल

म.प्र, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा संस्था में स्वीकृत पदों का विवरण

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	पदों को भरने की व्यवस्था
1	प्रबंध संचालक	1	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर
2	संयुक्त संचालक कृषि (जैविक)	1	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर
3	उप संचालक कृषि (जैविक प्रमाणीकरण)	1	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर
4	उप संचालक कृषि (जैविक निरीक्षण)	1	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर
5	गुणवत्ता प्रबंधक	1	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर
6	मूल्यांकन अधिकारी	1	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर
7	जैविक निरीक्षक	4	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर
8	लेखापाल	1	आउट सोसिंग से संविदा पर
9	शीघ्रलेखक	1	अतिशेष कर्मचारियों से
10	सहायक ग्रेड–1	1	अतिशेष कर्मचारियों से
11	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1	आउट सोसिंग से संविदा पर
12	सहायक ग्रेड – 2	1	आउट सोसिंग से संविदा पर
13	सहायक ग्रेड–3	2	आउट सोसिंग से संविदा पर
14	भृत्य	2	आउट सोसिंग से संविदा पर
15	चौकीदार	1	संविदा से भरने की स्वीकृती प्राप्त
16	वाहन चालक	2	आउट सोसिंग से संविदा पर
योग		22	